358

संख्या– /XVIII-(2)/16-12(15)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 17 मार्च, 2016

विषयः– दैवी आपदा, 2015–16 के अंतर्गत राजभवन में निहाल नाले की ढाल की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक/उपचार कार्य (प्रथम चरण) हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–973/13–सी.आर.ए./2015, दिनांक 01.08.2015 एवं पत्र संख्या–904/02 याता.–हल्द्वानी/2015, दिनांक 05.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजभवन स्थित गर्वनर पैवेलियन के दक्षिणी छोर में धसांव के कारण असुरक्षित हो गये गोल्फ ग्राउण्ड एवं गर्वनर पैवेलियन की सुरक्षा के दृष्टिगत गोल्फ ग्राउण्ड के दक्षिणी छोर की पहाड़ियों की भूस्खलन से रोकथाम हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा टी.एच.डी.सी. के तकनीकी दिशानिर्देशों में तैयार किया गया आगणन ₹ 193.69 लाख पर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन नैनीताल में निहाल नाले की ढाल की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक/उपचार कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन की लागत ₹ 193.69 लाख पर विभागीय टी.ए.सी. द्वारा जांचोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 193.69 लाख (₹ एक करोड़ तिरानबें लाख उन्सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
3. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)

6. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
9. उक्त कार्य हेतु यदि किसी अन्य मद से धनराषि व्यय की गई हो तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का समायोजन नहीं किया जायेगा तथा धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80– सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–186 P/XXVII(5)/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–629 (1)/XVIII-(2)/16-12(15)/2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड फाइल।

16-3-2016

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव